

कन्या भ्रूण हत्या हेतु 'प्रेरक' तथा उत्तरदायी कारक

आराधना सिंह

(शोध-छात्रा), एस० आर० के० पी०जी० कॉलेज, फिरोजाबाद

Abstract

कन्या भ्रूण हत्या के लिये सामाजिक परम्पारयें, धर्मिक मान्यतायें, रुढ़ियाँ एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है, जिसके कारण मातायें भी कन्या भ्रूण हत्या के लिये आसानी से सहमत हो जाती हैं। जिसकी व्याख्या तीन कारकों के आधार पर की जा सकती है; (1) स्थितियों के कारण हिंसापूर्ण व्यवहार होता है, (2) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के चार कारण पहचाने जा सकते हैं; (अ) पीड़ित द्वारा भड़काना, (ब) नशावृत्ति, (स) महिलाओं के प्रति हीनता की भावना, और (द) परिस्थिति संबंधी लालसा या संवेगात्मकता।

पारिभाषिक शब्दावली: गर्भपात, भ्रूण हत्या] ज्वलंत, संवैधानिक प्रावधान, अपराध सांख्यिकी।



[Scholarly Research Journal's](http://www.srjis.com) is licensed Based on a work at www.srjis.com

अध्ययन पद्धति : अध्ययन क्षेत्र एवं समय के आकार को दृष्टिगत रखते हुए संगणना विधि का प्रयोग किया है ताकि प्रस्तुत अध्ययन में अपेक्षाकृत अधिक परिशुद्धता एवं विश्वसनीयता की प्राप्ति सम्भव हो सके। प्रस्तुत अध्ययन 'अनुभवात्मक' (Empirical) होने के कारण मुख्यतः प्राथमिक तथ्यों से सम्बन्धित है तथापि महिलाओं के विरुद्ध अपराध सम्बन्धी तथ्यात्मक जानकारी, विषय से सम्बन्धित साहित्य तथा संप्रत्यात्मक संरचना के लिये प्रलेखीय स्रोतों से द्वैतीयक सामग्री का संकलन भी किया गया है।

परिकल्पना : कन्या भ्रूण हत्या के लिये सामाजिक परम्पारयें, धार्मिक मान्यतायें, रूढ़ियाँ एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है,

विवेचना, विश्लेषण एवं निष्कर्ष: आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र में ही कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित, नारी के प्रति अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस तथ्य की पुष्टि विगत 5 वर्षों के “भारत में कन्या भ्रूण हत्यायें” एवं “30 प्र० में कन्या भ्रूण गर्भपात” - 30 प्र० अपराध सांख्यिकी के अभिलेखीय आँकड़ों से होती है। कन्या भ्रूण हत्या के लिये, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है, जिसके कारण मातायें भी कन्या भ्रूण हत्या के लिये आसानी से सहमत हो जाती हैं। जिसकी व्याख्या तीन कारकों के आधार पर की जा सकती है; (1) स्थितियों के कारण हिंसापूर्ण व्यवहार होता है, (2) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के चार कारण पहचाने जा सकते हैं; (अ) पीड़ित द्वारा भड़काना, (ब) नशावृत्ति, (स) महिलाओं के प्रति हीनता की भावना, और (द) परिस्थिति संबंधी लालसा या संवेगात्मकता।

निम्न तालिका नं. (1) कन्या भ्रूण हत्या के पारिवारिक कारणों के प्रति अध्ययनार्थ चयनित न्यादर्शों के अभिमतों (दृष्टिकोणों) पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. (1):

क्रम	घरेलू/पारिवारिक दवाब का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1.	वधू उत्पीड़न	27	54.00
2.	चिकित्सकीय सहयोग	08	16.00
3.	उत्प्रेरित	09	18.00

4.	परिवार के सदस्यों के द्वारा बलात् प्रयास	06	12.00
	समस्त	50	100.00

निष्कर्ष:

- (क) कन्या भ्रूण हत्या समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है।
- (ख) अभागी नारियों का पहले भाँति-भाँति से प्रताड़नाएं देकर उत्पीड़न किया जाता है परिजनों की भूमिकाएं प्रमुख पायी गयी हैं।
- (ग) कन्या भ्रूण हत्या हेतु विवाहिताओं को मारते पीटते हैं तथा प्रताड़ित करते हुए भाँति-भाँति से शोषण एवं उत्पीड़न करते हैं।
- (घ) अध्ययन किए गए प्रकरणों में आर्थिक तत्व मुख्य रूप से पाया गया है।
- (ङ) कन्या भ्रूण हत्याओं में तथ्य या तो छिपा दिए गए हैं या फिर प्रमाण नष्ट करने के प्रयास किए गए हैं ताकि दोषी बच जाय।
- (च) सामाजिक निन्दा तथा कठोर दण्ड के भय की बजह से आपसी समझौता करने के प्रयास किए गए लेकिन 90 प्रतिशत अध्ययन किए प्रकरणों में कन्या भ्रूण हत्या की रिपोर्टें दर्ज नहीं करायी गयी हैं।
- (छ) अध्ययन किए गए दहेज उत्पीड़न तथा दहेज हत्या के प्रकरणों में पुलिस की निष्क्रियता तथा भूमिकाएं संदिग्ध पायी गयी हैं।

सूचनादाताओं द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के प्रति बताए गए उत्तरदायी कारकों तथा घटित अपराधों के मध्य उच्च कोटि का धनात्मक सह-सम्बन्ध पाया गया है जो यह स्पष्ट करता है कि सूचनादाताओं द्वारा बताए गए उत्तरदायी कारकों का कन्या भ्रूण हत्या से घनिष्ठ

सम्बन्ध है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए कोई एक कारक नहीं अपितु विभिन्न कारक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक, जैविकीय तथा परिस्थितिक कारक उत्तरदायी हैं।

संदर्भ:

- मेहरा लक्ष्मी चन्द (2007) अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र, जन कल्याणी पुस्तक प्रकाशन, मैंगलोर (कर्नाटक), पृष्ठ 202
- महाजन डी.वी., (2009) कन्या भ्रूण हत्या, विवेक प्रकाशन जवाहर एण्ड महाजन के. नगर, दिल्ली, पृष्ठांकन 229
- आहूजा राम (2004) सामाजिक समस्याएं, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 228
- केजरीवाल राकेश के. (2010) विक्टिमोलॉजी, ऐन इंटरनेशनल जर्नल, बॉम्बे,, पृष्ठ 37
- आहूजा राम (2002) क्राइम अंगेस्ट फीमेल फीट्स, (सितम्बर 1992 से सितम्बर 2002 तक)- उत्पीड़ित नारियों का अध्ययन, रावत प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 70-88